UPSC Daily Current Affairs 21 Jul 2021

सर्वोच्च न्यायालय ने सहकारिता संशोधन के हिस्सों को रद्द किया

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिशास्त्र, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- संघवाद को एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में उस संवैधानिक संशोधन के हिस्सों को रद्द कर दिया है जिसमें सहकारिता समितियों के ऊपर राज्यों की विशेष शक्ति को संकुचित कर दिया गया था।
- यह निर्णय राज्यों द्वारा व्यक्त किए गए उस डर की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो सकता है कि क्या नया केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय उनकी शक्ति को छीन लेगा।

खबरों में और भी है

2012 का 97वां संशोधन

- भाग IXB जिसे संविधान के 2012 के 97वें संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, ने सहकारी समितियों के संचालन की शर्तों को बताया था।
- भाग IX B, जिसमें अनुच्छेद 243ZH से 243ZT शामिल हैं, ने राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के तहत सहकारिता क्षेत्र के ऊपर राज्य विधायिकाओं की विशेष विधायी शक्ति को काफी प्रभावित किया है।

न्यायालय का पर्यवेक्षण

- एक बहुसंख्यक निर्णय जिसे न्यायमूर्ति नरीमन ने दिया था, में कहा गया कि सहकारिता समितियां राज्य विधायिकाओं के विशेष विधायी शक्ति के अंतर्गत आती हैं।
- संशोधन में प्रावधान, जिसे संसद ने बिना राज्य विधायिकाओं की पुष्टि के पारित किया है जैसा कि संविधान के अनुसार जरूरी है, यह निर्धारित करने तक चले गए हैं कि किसी समिति में निदेशकों की संख्या क्या होनी चाहिए अथवा उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए और यहां तक कि विशेषज्ञता क्या होनी चाहिए।
- न्यायालय ने इंगित किया कि कैसे अनुच्छेद 243ZI यह स्पष्ट करता है कि कोई राज्य केवल **97वें संविधान संशोधन के भाग IXB के प्रावधानों** का ध्यान रखते हुए समिति के निगमन, विनियमन और समापन पर कानून बना सकता है।
- 97वां संशोधन जो सहकारिता समितियों से संबंधित अध्याय को शामिल करता है, की अभी तक राज्यों द्वारा संपुष्टि नहीं की गई है, यद्यपि संविधायी शक्ति के प्रयोग में संविधान का संशोधन जो सामान्य विधायी शक्ति से अलग होता है, ऐसी संविधायी शक्ति संसद को मौलिक संविधान सभा में परिवर्तित नहीं करती है।
- संसद के पास सीमित शक्ति होने की वजह से वह ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल दोनों प्रक्रियात्मक और मौलिक सीमाओं के साथ कर सकती है जैसा कि भारत के संविधान में दिया गया है।
- लेकिन, न्यायालय ने संशोधन के भाग IXB के हिस्सों को नहीं रद्द किया जो बहुराज्यीय सहकारिता समितियों से संबंधित हैं। यह संपुष्टि न होने की वजह से है।

असहमति नोट

- अपनी असहमति में, न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ ने कहा **पृथक्करणीयता का सिद्धांत** एकल राज्य समितियों और बहुराज्यीय सहकारिता समितियों के बीच में अंतर करने के लिए प्रचालित नहीं होगा।

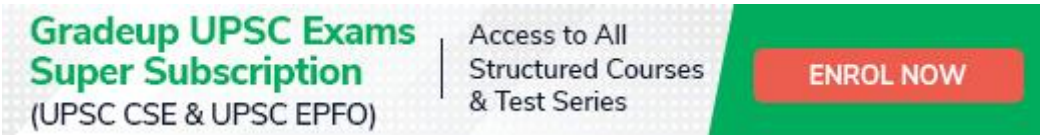

- न्यायाधीश ने कहा संपूर्ण भाग IXB संपुष्टि की अनुपस्थिति के आधार पर रद्द किया जाना चाहिए।

सहकारिता समितियों के बारे में जानकारी

- 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन कानून ने सहकारिता समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया।

इस संदर्भ में, इसने संविधान में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए:

- शब्द "सहकारिता" को संविधान के भाग III के तहत अनुच्छेद 19(1)(C) में "संघों और संस्थाओं " के बाद जोड़ा गया।
- यह सभी नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने में सक्षम बनाता है जिसके लिए यह इसे नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का दर्जा देता है।
- इसने सहकारिता समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नए राज्य नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया।
- इसने संविधान में एक नए भाग IX-B को जोड़ा जिसका शीर्षक "सहकारी समितियां" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) है।

स्वतंत्रोत्तर युग में सहकारिता आंदोलन

- स्वंतत्रता के बाद, सहकारिता पंचवर्षीय योजनाओं का अविभाज्य हिस्सा बन गया।
- 1958 में, राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की संस्तुति की घोषणा की। साथ ही कर्मियों के प्रशिक्षण और सहकारी विपणन समितियों के गठन की बात भी कही।
- **राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (NCDC),** जो एक वैधानिक निगम है, की स्थापना राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम कानून, 1962 के तहत की गई थी।
- 1984 में, भारत की संसद ने बहुराज्यीय सहकारिता समिति कानून बनाया जिससे समान प्रकार की समितियों को नियमित करने वाले विभिन्न कानूनों की संख्या को कम किया जा सके।
- **2002 में भारत सरकार ने सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की।**
- 2021 में, केंद्र सरकार ने **एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय'** की स्थापना सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को एक नई गति देने के लिए की।

नोट:

<u>पृथक्करणीयता का सिद्धांत</u>

- पृथक्करणीयता के सिद्धांत का अर्थ है कि जब किसी विधान का विशेष प्रावधान संवैधानिक सीमा के खिलाफ है, लेकिन वह प्रावधान बाकी विधान से पृथक्करणीय है, तो केवल वह खिलाफ प्रावधान ही न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा न कि पूरा विधान।

<u>चीन-दक्षिण एशिया समूह में शामिल होने के लिए भारत का स्वागत</u>

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II-IR, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- हाल में, बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने कहा कि यदि इच्छा हो तो चीन के नेतृत्व वाले दक्षिण एशियाई कोविड-19 टीका और गरीबी उन्मूलन पहल में भारत भी शामिल हो सकता है।
- उन्होंने इस बात से इंकार किया कि इस महीने की शुरुआत में बनाए गए छह देशों के समूह का अर्थ भारत को अलग करना है।

चीन-दक्षिण-एशिया समूह के गठन का उद्देश्य

- चीन-दक्षिण एशियाई देश आपातकालीन आपूर्ति रिज़र्व का गठन, और चीन में एक गरीबी उन्मूलन एवं सहकारिता विकास केंद्र की स्थापना की गई है।

शामिल देश

- चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।

बिना भारत के पहल

- समूह में भारत की अनुपस्थिति साथ ही चीनी उप विदेश मंत्री और SAARC सदस्य देशों (भारत और भूटान के अलावा) के विभिन्न संयोजनों के बीच में कोविड राहत पर वार्ताओं की श्रृंखलाओं से कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि यह "भारत के बिना" पहल है।
- सभी आठ SAARC देशों में से भारत ही एकमात्र देश जिसने चीनी कोविड टीके के लिए न तो निवेदन किया है और न ही उसे स्वीकृति दी है।

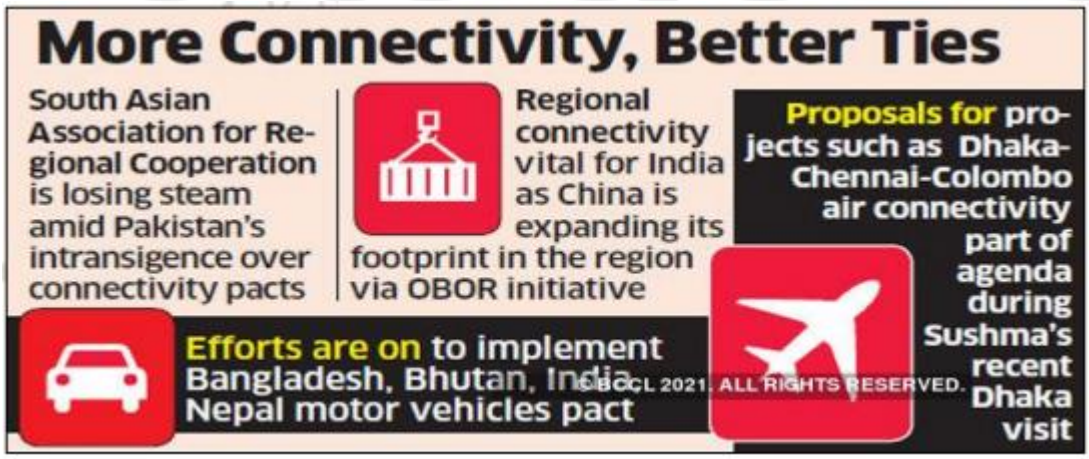

भारत का प्रतियुत्तर

- विदेश मामले के मंत्रालय ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या भारत को मंच के लिए आमंत्रित किया गया अथवा वह चीन-दक्षिण एशिया केंद्र से जुड़ने पर विचार करेगा, जिसे भविष्य में दक्षिणी चीनी शहर चोंगकिंग में स्थापित किया जाएगा।
- लेकिन, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी आक्रमकता को लेकर लगातार तनाव और नई दिल्ली के कड़े रुख की वजह से अन्य द्विपक्षीय संबंध बिना सीमा पर गतिरोध के सुलझाये हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
- यह समझा जाता है कि भारत चीन वाले किसी भी समूह पर विचार नहीं करेगा विशेष रूप से उसमें जिसे SAARC क्षेत्र में उसकी भूमिका को कम करने के रूप में देखा जा रहा है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription
(UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

वैवाहिक अधिकार

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिशास्त्र और शासन, स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस)

- हाल में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिंदू व्यक्तिगत कानून के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली को अनुमति देने वाले प्रावधान को नये सिरे से चुनौती देने पर सुनवाई की संभावना है।
- 2019 में, सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई पर सहमति व्यक्त कर दी थी।

वैवाहिक अधिकार क्या हैं?

- वैवाहिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें विवाह द्वारा सृजित किया जाता है, अर्थात एक दूसरे के समाज के प्रति पति अथवा पत्नी के अधिकार।
- कानून तीन अधिकारों को मान्यता देता है- दोनों ही- व्यक्तिगत कानून जो विवाह, संबंध विच्छेद इत्यादि से संबंधित हैं और आपराधिक कानून जो जीवनसाथी के रखरखाव और निर्वाह निधि भुगतान के लिए जरूरी हैं।
- **हिंदू विवाह कानून का अनुच्छेद 9 वैवाहिक अधिकार के एक पहलू को मान्यता देता है- संघ का अधिकार** और न्यायालय जाकर जीवन साथी को अपने अधिकार लागू करवाने की अनुमति देकर इसे संरक्षित करता है।
- वैवाहिक अधिकारों की बहाली की संकल्पना हिंदू व्यक्तिगत कानून में अब संहिताबद्ध की गई है, लेकिन इसका जन्म औपनिवेशिक काल में हुआ था और इसका स्रोत पुरोहितों के कानून में है।

चुनौती के तहत प्रावधान क्या हैं?

- हिंदू विवाह कानून, 1955 का अनुच्छेद 9, जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली से संबंधित है, कहता है :
    - "जब पति अथवा पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के अन्य के समाज से अपने को अलग कर लिया है, पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए जिला न्यायालय में याचिका के द्वारा निवेदन कर सकता है और न्यायालय यदि कथनों की सत्यता से संतुष्ट है जो इस याचिका में दिए गए हैं और यदि कोई कानूनी भूमि नहीं है कि आवेदन को क्यों न सुना जाए, तो न्यायालय इसी के अनुसार वैवाहिक अधिकारों की बहाली का निर्णय दे सकता है।"

अन्य व्यक्तिगत कानूनों में समान प्रावधान

- इसी प्रकार के प्रावधान मुस्लिम व्यक्तिगत कानून साथ ही संबंध विच्छेद कानून, 1869 में मौजूद है जिससे ईसाई परिवारिक कानून संचालित होता है।

संयोग से, 1970 में, यूनाईटेड किंगडम ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर कानून को समाप्त कर दिया।

चिंता

निजता के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन

- इस कानून को अब आधार पर चुनौती दी जा रही है कि यह निजता के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- दो कानून के छात्रों द्वारा याचिका में तर्क दिया गया कि न्यायालय द्वारा शासनादेशित वैवाहिक अधिकारों की बहाली राज्य के हिस्से में एक बलपूर्वक कार्य है, जो एक व्यक्ति की यौन एवं निर्णयात्मक स्वायत्तता का उल्लंघन करती है, साथ ही निजता और गरिमा के अधिकार का भी।
- **2019 में**, **पुट्टूस्वामी बनाम भारत** मामले के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय खंडपीठ ने निजता के अधिकार को **मूलभूत अधिकार** के रूप में मान्यता दी थी।

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP) योजना

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत- PIB)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP) योजना के तहत बांधों की मरम्मत और रखरखाव के लिए राज्यों को तत्काल वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है।

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP) योजना के बारे में जानकारी

- इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने 2012 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया था।

DRIP के उद्देश्य:

- चुने हुए वर्तमान के बांधों और संबंधित पूरकों की सुरक्षा और प्रचालनात्मक प्रदर्शन में सतत तरीके से सुधार, और
- भागीदारी राज्यों/क्रियान्वयन एजेंसियों की बांध सुरक्षा संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना।

परियोजना का चरण 1:

- **DRIP कार्यक्रम के पहले चरण ने 7 राज्यों के 223 बांधों को अपने में शामिल किया।**

चरण II और चरण III

- 2020 में, आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना **(DRIP)** चरण **II** और चरण **III** को स्वीकृति दी।
- यह पूरे देश में स्थित 736 वर्तमान बांधों के समग्र पुनर्वास और बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 की परिकल्पना करता है।

वित्तीय सहायता

- **वित्तीय मदद** विश्व बैंक (WB) और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

अवधि

- इस परियोजना को दो चरणों में 10 वर्ष की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा, प्रत्येक चरण छह वर्षों के काल का होगा जिसमें **अप्रैल 2021 से मार्च 2031 के दो वर्ष समान होंगे।**

DRIP चरण II और चरण III निम्नलिखित उद्देश्यों की परिकल्पना करते हैं:

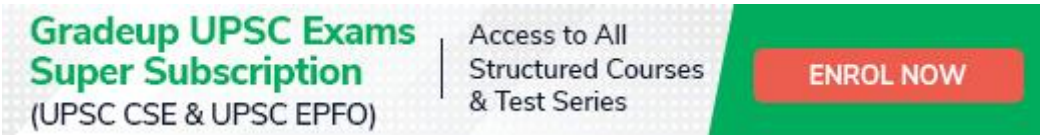

- चुने हुए वर्तमान के बांधों और संबंधित पूरकों की सुरक्षा और प्रचालनात्मक प्रदर्शन में सतत तरीके से सुधार करना।
- राज्यों साथ ही केंद्रीय स्तर पर भागीदारी राज्यों में बांध सुरक्षा संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना।
- सतत संचालन और बांधों के रखरखाव के लिए आकस्मिक राजस्व को उत्पन्न करने के लिए कुछ चुने हुए बांधों में वैकल्पिक आकस्मिक तरीकों का अन्वेषण करना।

योजना की जरूरत:

- 5334 बड़े बांधों के संचालन के साथ भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में लगभग 411 बांध निर्माणाधीन हैं।
- साथ ही हजारों छोटे बांध भी हैं।
- भारतीय बांध और जलाशय वार्षिक रूप से लगभग 300 अरब घन मी. जल का भंडारण करके हमारे देश की आर्थिक और कृषीय वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
- ये बांध परिसंपत्ति प्रबंधन और सुरक्षा के संदर्भ में एक प्रमुख जिम्मेदारी प्रस्तुत करते हैं।
- जहां तक मानव जीवन और संपत्ति, और पारिस्थितिकी को हानि का प्रश्न है।
- जहां तक मानव जीवन और संपत्ति, और पारिस्थितिकी को हानि का प्रश्न है।
- जहां तक मानव जीवन और संपत्ति, और पारिस्थितिकी को हानि का प्रश्न है।

जहां तक मानव जीवन और संपत्ति एवं पारिस्थितिकीय की हानि का प्रश्न है, बांध टूटने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।

S-500 वायु रक्षा प्रणाली

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- रूस ने हाल में अपने उन्नत नए एस-500 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली के पहले फुटेज को जारी किया है।
- इसकी पूर्ववर्ती एस-400 प्रणाली थी।

S-500 प्रणाली के बारे में जानकारी

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- S-500 प्रणाली को प्रोमेथेयूस भी कहा जाता है।
- ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और साथ ही जहाजों और हेलिकॉप्टरों को नष्ट करने में सक्षम है।
- इसकी अवरोधन त्रिज्या लगभग 600 किमी. (373 मील) की है।

संबंधित सूचना

S-400 ट्रायंफ के बारे में जानकारी

- यह एक गतिमान, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (SAM) है जिसे रूस ने डिजाइन किया है।
- यह दुनिया की सबसे खतरनाक प्रचालन के लिए तैनात आधुनिक लंबी दूरी SAM है, जिसे US द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम (THAAD) से काफी आगे माना जाता है।
- S-400 ट्रायंफ सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को रोक सकता है जैसे वायुयान, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, मानवरहित हवाई वाहन (UAV), जो 400 किमी. की सीमा में और 30 किमी. की ऊंचाई तक हैं।
- यह 100 हवा के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, जिसमें सुपर लड़ाकू विमान जैसे अमेरिका द्वारा निर्मित F-35 शामिल हैं, और यह इनमें से छह से एक साथ निपट सकता है।

4 मानव परीक्षण चरण में छह टीके

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत- द हिंदू)

Gradeup UPSC Exams Super Subscription
(UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

खबरों में क्यों है?

- हाल में, राज्यसभा को लिखित उत्तर में विज्ञान मंत्री ने कहा कि केंद्र चार टीकों के विकास का वित्त पोषण कर रहा है, जो वर्तमान में मानव परीक्षणों के विभिन्न चरणों में हैं।

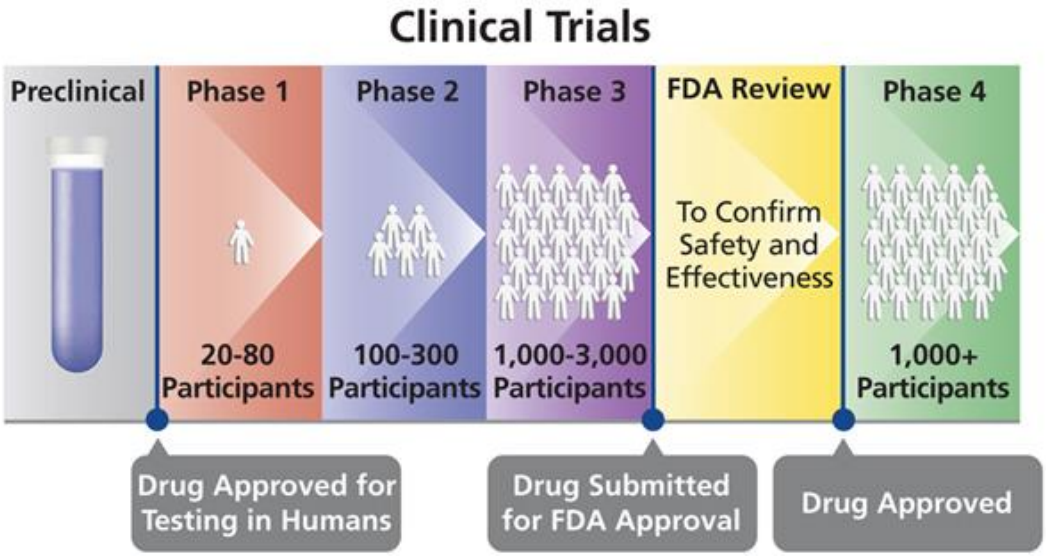

- **ये टीके हैं**:
    a. कैडीला हेल्थकेयर, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा डीएनए आधारित टीका कैंडीडेट
    b. बायोलॉजिकल ई लि., हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा प्रोटीन उपइकाई टीका
    c. भारत बायोटेक लि., हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा एडीनोवायरस एंट्रा नेज़ल टीका
    d. जेन्नोवा बायोफार्मास्युटिकल्स, पूणे, महाराष्ट्र द्वारा एमआरएनए टीका।
- कैडीला और बायोलॉजिकल ई टीके चरण 3 परीक्षणों की अवस्था में हैं, भारत बायोटेक का चरण 2 में, और जेन्नोवा का चरण 2 परीक्षण अवस्था में है।
- पांचवीं टीका कैंडीडेट, जो गुरुग्राम, हरियाणा आधारित जेनिक लाइफ साइंस द्वारा "वायरस लाइक पार्टिकल" था, उन्नत क्लीनिकल पूर्व चरण में है।
- वर्तमान में, तीन टीके- भारतीय सीरम संस्थान का कोविशील्ड, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और रूसी टीका स्पुतनिक V- भारत में लगाए जा रहे हैं।

बीटा टाइटेनियम मिश्रधातु

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत- AIR)

खबरों में क्यों है?

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी तरीके से **'उच्च शक्ति वाले मितस्थायी बीटा टाइटेनियम मिश्रधातु'** को विकसित किया है जिसमें वेनेडियम, आयरन एवं अल्म्युनियम, **Ti-10V-2Fe-**

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

3AI (गैर फेरस लगभग बीटा टाइटेनियम मिश्रधातु) औद्योगिक स्तर पर हवाई क्षेत्र संरचनात्मक फोर्जिंग में अनुप्रयोग के लिए शामिल हैं।

महत्व

- स्वदेश में बनाए गए उच्च क्षमता वाले टाइटेनियम मिश्रधातु का प्रयोग हवाई क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिए जटिल विन्यास वाले घटकों में किया जाता है।
- टाइटेनियम मिश्रधातु की उच्च शक्ति, लचीलापन, क्लांति और भ्रंशन कठोरता इस्पात को विस्थापित कर सकती है और काफी वजन बचतों की ओर ले जा सकती है।
- वे घटक जिन्हें **बीटा टाइटेनियम मिश्रधातु से बनाया जा सकता है, उनमें धातु की पट्टी/पल्ले वाली पटरियां, लैंडिंग गियर, और अन्य चीजों के अतिरिक्त ड्राप लिंक में लैंडिंग गियर शामिल हैं।**
- उच्च शक्ति वाली बीटा टाइटेनियम मिश्रधातुएं अपनी डिजाइन और टिकाऊपन की वजह से अनूठी हैं जो उन्हें वायुयान संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए लगातार आकर्षक बनाती हैं।
- आगे, इनकी जीवन भर की कीमत काफी कम होती है क्योंकि इस्पात की तुलना में इनकी जंग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है।

विमान निर्माण उद्योग में कुछ लोकप्रिय मिश्रधातुओं में निम्न शामिल हैं:

a. टाइटेनियम मिश्रधातुएं
b. अल्म्युनियम मिश्रधातुएं
c. तांबा मिश्रधातुएं
d. स्टेनलेस स्टील
e. सुपर मिश्रधातुएं
f. अन्य विशेषज्ञता वाली मिश्रधातुएं

डीवी शेकतकर समिति

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा, स्रोत- PIB)

खबरों में क्यों है?

- विशेषज्ञों की समिति (CoE) जिसे लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीबी शेकतकर की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय ने गठित किया था, का उद्देश्य **सैन्य बलों के रक्षा खर्च का पुनर्संतुलन करने और लड़ाई सुसंगतता को उन्नत** करने से संबंधित उपायों की संस्तुति देना था। इसने दिसंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- इस रिपोर्ट को रक्षा मंत्रालय ने प्रमुख कार्रवाई बिंदुओं और क्रियान्वयन के लिए रोडमैप को बनाने के लिए लिया था।

समिति द्वारा अनुशंसित उपायों और क्रियान्वयन के ग्रहण किए गए बिंदुओं में निम्न शामिल हैं:

a. रेडियो मॉनीटरिंग कंपनियों, कोर वायु समर्थन सिग्नल रेजीमेंटों, एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजीमेंटों, कंपोजिट सिग्नल रेजीमेंटों को शामिल करने और कोर ऑपरेटिंग और इंजीनियरिंग सिग्नल रेजीमेंट के विलय के लिए सिग्नल संस्थाओं का इष्टतम उपयोग।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

b. सेना में मरम्मत विभागों की पुनर्संरचना जिससे थल सेना में बेस वर्कशॉपों, एडवांस बेस वर्कशॉपों और स्थिर/ स्टेशन वर्कशॉपों को शामिल किया जा सके।
c. ऑर्डनेंस विभागों की पुनः तैनाती जिससे वाहन डिपो, ऑर्डनेंस डिपो और केंद्रीय ऑर्डनेंस डिपो को माल नियंत्रण तंत्र को व्यवस्थित करने के अलावा शामिल किया जा सके।
d. आपूर्ति और परिवहन विभागों और पशु परिवहन इकाईयों का बेहतर उपयोग।
e. शांति वाले स्थानों पर सैन्य फार्मों और सेना डाक संस्थानों को बंद करना।
f. सेना में लिपिकीय स्टाफ और चालकों की भर्ती के लिए मानकों को उन्नत करना।
g. नेशनल कैडेट कोर की क्षमता में सुधार करना।

gradeup

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW